कार्यालय : प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय– बिजली नगर कॉलोनी,निष्ठा परिसर,
गोविंदपुरा,भोपाल 462023
सीआईएन –U40109MP2002SGC015119
फोन आफिस 0755–2602033–34 फैक्स – 2589821
वेबसाइट :www.mpcz.co.in
प्रकाश एवं विकास

मानव संसाधन विभाग (ISO 9001:2008 प्रमाणित)

क्रं./प्र.सं./म.क्षे./भर्ती/सहा.रा.अधि./2016–17/12709 भोपाल, दिनांक :–19/01/2017

सहायक राजस्व अधिकारी(नियमित) 2016–17 के पदों की भर्ती हेतु परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

1. म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमि. भोपाल जो कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी है, **सहायक राजस्व अधिकारी** के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिये योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करती है।

2. **सहायक राजस्व अधिकारी** के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में वर्गवार/श्रेणीवार रिक्तियों की प्रावधिक संख्या निम्नानुसार हैः–

क्रं.	संवर्ग का नाम	श्रेणीवार पदों का विवरण				निःशक्तजन अस्थिबाधित/श्रवणबाधित (40 प्रतिशत से अधिक निःशक्त)				
		UR	ST	SC	OBC	UR	ST	SC	OBC	Total
1	सहायक राजस्व अधिकारीरिक्त पदों की संख्या	97	83	32	निरंक	06	05	02	निरंक	225

नोटः–पदों की श्रेणीवार/कुल संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है, या स्थगित/निरस्त भी किया जा सकता है।

3. **शैक्षणिक योग्यता :–**

क्रं.	शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम योग्यता प्रतिशत
1	**अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:** 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा द्वितीय श्रेणी में ।तथा 2. पी.जी.डी.सी/डी.सी.ए./सी.पी.सी.टी./कोपा/हिन्दी/अंग्रेजी मुद्रलेखन/मॉर्डन ऑफिस मेनेजमेंट कोर्स/ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईन्स/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इन्फोरमेशन टेक्नालॉजी ।	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को स्नातक परीक्षा में 55 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अनिवार्य है।

नोट :–अ– मान्यता प्राप्त संस्थाओं से निम्न अर्हता होने पर कम्प्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी :–

बी.ई./एम.टेक/एम.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) इत्यादि।

ब– बी.एस.सी./बी.कॉम./बी.ए./डिग्रीयाँ जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है, उन उम्मीदवारों को पी.जी.डी.सी.ए. उत्तीर्ण होने पर ही आवेदन की पात्रता होगी।

4. **मूल निवासी :–**

आवेदन हेतु उम्मीदवार को मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (सभी श्रेणी के उम्मदवारों को म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।)

5. **आयु सीमा (01.01.2017 की स्थिति में):–**

5.1 आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2017 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।

5.2 कम्पनी द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14559 दिनांक 08.03.2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार रहेगी।

5.2.1 अनारक्षित पुरुष आवेदकों की आयु दिनांक 01.01.2017 को अधिकतम 40 वर्ष रहेगी।

5.2.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन/अन्य पिछड़ा वर्ग/नगर सैनिक/भूतपूर्व सैनिक/महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष रहेगी। इस हेतु उम्मीदवार को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी/सक्षम सैनिक प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति उपस्थिति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगी।

5.2.3 सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

6. **आरक्षणः–**

6.1 मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को म.प्र.राज्य शासन के समतुल्य रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण की पात्रता होगी। उम्मीदवारों द्वारा उपजाति का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा ।

6.2 आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने के साथ संबंधित क्षेत्रीय अनुभाग अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6.3 निःशक्तजन उम्मीदवारों को म.प्र. शासन के नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा। इस हेतु उम्मीदवार को उपस्थिति के समय सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता के संबंध में जारी मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

6.4 म.प्र. राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के लिये उम्मीदवार का चयन होने पर अभ्यर्थी को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से सेवा के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट हो कि सेवाकाल के दौरान इन्हें गंभीर दण्ड से दंडित नही किया गया है। दंडित भूतपूर्व सैनिक सहायक राजस्व अधिकारी (नियमित) के पद पर भर्ती के पात्र नही होंगे।

7. <u>आवेदन शुल्कः–</u>

7.1 आवेदन शुल्क रु. 1500/–(रुपये पन्द्रह सौ मात्र) जो अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तजन के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क रु. 1000/–(रुपये एक हजार मात्र) निर्धारित होगी।

7.2 आवेदन पत्र एम.पी.ऑन लाईन कियोस्क पर नगद भुगतान कर प्रस्तुत किये जा सकते है। कियोस्क पर छायाप्रति स्कैन किये जाने हेतु आवेदन शुल्क के अतिरिक्त पृथक् से कोई प्रभार देय नही है।

7.3 **आवेदन शुल्क का विवरण।**

क्रं.	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग	1500/–
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन	1000/–

7.4 आवेदन एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क पर नगद भुगतान कर किये जा सकते है। https://www.mponline.gov.in, Link पर Authorised Kiosk List Linkपर एम.पी. ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क की सूची है, जिसके माध्यम से आवेदन शुल्क जमा किया जाना है।

8. <u>ऑनलाइन आवेदन कैसे करे (कृपया निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़े) :–</u>

8.1 आवेदन पत्र केवल एम.पी.ऑनलाइन की वेबसाइट https://www.mponline.gov.inपर दिनांक 20.01.2017 से उपलब्ध है।

8.2 आवेदन एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी किये जा सकते है। एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये https://www.mponline.gov.inपर Authorised Kiosk List Linkदेखें।

8.3 आवेदन हेतु एम.पी.ऑनलाइन की वेबसाइट https://www.mponline.gov.in, Link हेतु म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल की वेबसाइट www.mpcz.co.inपर भी उपलब्ध है।

9. <u>चिकित्सीय परीक्षण :–</u>

9.1 सहायक राजस्व अधिकारी के पद पर प्रावधिक रुप से चयनित उम्मीदवारों को सेवा सह जमानत अनुबंध के समय जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन का स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र (फिटनेस प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना होगा। यदि उम्मीदवार चिकित्सा परीक्षण में असफल पाया जाता है, तो उम्मीदवार का चयन बिना किसी सूचना के निरस्त होगा।

10. चयन प्रक्रिया :–

10.1 चयन प्रक्रिया ऑनलाईन असेसमेंट टेस्ट के माध्यम से पूर्ण की जायेगी। ऑनलाईन असेसमेंट टेस्ट परीक्षा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इन्दौर उज्जैन, रीवा एवं सागर में विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित की जावेगी। इसके लिए प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाइन द्वारा ऑनलाइन जारी किये जावेंगे।

10.2 प्रावीण्य सूची के निर्धारण में ऑन लाईन परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अनुभव के आधार पर प्राप्त अंको का अनुपात 80:20 होगा।

10.3 ऑन लाईन परीक्षा में 100 प्रश्न होगें प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित है, तथा प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटे निर्धारित है।

10.4 ऑन लाईन परीक्षा के लिये उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र www.mponline.gov.inसे डाउनलोड कर सकते है, तथा ऑन लाईन परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।

10.5 ऑन लाईन परीक्षा की तिथि से 3 दिवस के भीतर प्रत्येक उम्मीदवार की पृथक्–पृथक् उत्तर पुस्तिका तथा मॉडल उत्तर पुस्तिका (कुंजी) प्रकाशित की जावेगी।

10.6 ऑन लाईन परीक्षा परीणाम के प्रकाशन के उपरांत 3 दिवस के भीतर ऑन लाईन उत्तर पुस्तिका को चुनौती दे सकते है, जिसके लिये उम्मीदवार द्वारा 600/– रुपये प्रति प्रश्न शुल्क तथा पोर्टल प्रभार 60/– रुपये प्रति आवेदन देय होगा, जो वापसी योग्य नही है। चुनौती दिये गये प्रश्न को वैद्य पाये जाने पर ही यह राशि वापसी योग्य है।

10.7 चुनौती दिये गये प्रश्नों की एक समिति द्वारा जांच की जावेगी, जिसका निर्णय अंतिम रुप से बाध्यकारी माना जावेगा।

10.8 उम्मीदवार को संबंधित उप महाप्रबंधक (कार्यपालन अभियंता) एवं समकक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। फर्जी/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

10.9 अधिभार हेतु अनुभव अवधि की गणना दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में केवल पूर्ण कार्य माह को ही सम्मिलित किया जावेगा।

10.10 शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही चयन होने की स्थिति में उपस्थित होने की अनुमति दी जावेगी।

10.11 अंतिम चयन सूची में समान अंक (दशमलव के दो अंकों तक) प्राप्त करने वाले एक से अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को नियमानुसार वरीयता दी जायेगी।

10.12 अंतिम चयन सूची एम. पी. ऑनलाइन एवं म.प्र.मध्य क्षेत्र वितरण कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाकर चयनित आवेदकों को ई–मेल/मोबाईल पर एस.एम.एस. से सूचित किया जावेगा एवं नियुक्ति प्रस्ताव पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन में अंकित पत्र व्यवहार के पतें पर प्रेषित किया जावेगा तथापि डाक में विलम्ब/त्रुटि के लिए कम्पनी का कोई दायित्व नही होगा।

10.13 म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कम्पनियों में कार्यालय सहायक के समकक्ष कार्यानुभव रखने वाले उम्मीदवारों को 15 अंक (मासिक अवधि के सापेक्ष) प्रतिवर्ष के अनुसार अधिकतम 05 वर्ष तक दिया जावेगा ।

11. <u>प्रावीण्य सूची एवं वैद्यता</u> :–

ऑन लाईन परीक्षा एवं अनुभव के बोनस अंको के आधार पर संयुक्त प्रावीण्य सूची निम्नानुसार तैयार की जावेगी।

11.1 अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन इत्यादि के समस्त उम्मीदवारों की एक संयुक्त प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन के लिये पृथक्–पृथक् संयुक्त प्रावीण्य (मेरिट) सूची तैयार की जावेगी।

11.3 सहायक राजस्व अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संयुक्त प्रावीण्य सूची घोषित होने की दिनांक से 02 वर्ष तक वैद्य रहेगी।

12. <u>सेवा–सह–जमानत अनुबंध (Service Agreement Cum Surety Bond)</u> :-

12.1 सहायक राजस्व अधिकारी (नियमित) द्वारा म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी अथवा अधीनस्थ नियंत्रक प्राधिकृत अधिकारी के साथ रुपये 500/– के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारुप में अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। इस पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जावेगा।

12.2 अनुबंध की अधिकतम कालावधि (प्रशिक्षण अवधि सहित) 03 वर्ष होगी। अनुबंध की कालावधि समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः शून्य होगा।

12.3 अनुबंध की शर्तों का पालन न करने अथवा 3 वर्ष से पूर्व कार्य छोड़ने/त्यागपत्र देने की स्थिति में अनुबंध राशि के रुप में अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कार्मिक को रु. 25,000/–(रु. पच्चीस हजार) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन/विधवा/तलाकशुदा/नगर सैनिक/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के कार्मिक को रु. 15,000/–(रु. पन्द्रह हजार) कम्पनी को भुगतान करना होगा।

12.4 त्यागपत्र देने की स्थिति में सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा कम्पनी को प्रशिक्षण अवधि एवं उसके उपरांत एक माह का नोटिस अथवा उसके सापेक्ष भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। कम्पनी द्वारा भी इसी प्रकार एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके सापेक्ष भुगतान के आधार पर सहायक राजस्व अधिकारी की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

12.5 सहायक राजस्व अधिकारी की म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कम्पनियों में समान/उच्च पद पर नियुक्ति हो जाने की स्थिति में सेवा–सह–जमानत अनुबंध (नोटिस अवधि सहित) शिथिल किया जा सकेगा।

12.6 अनुबंध से संबंधित अन्य शर्ते कम्पनी के परिपत्र क्रमांक MD/MK/R&T/F-165/12474दिनांक 17.12.2013 के अनुसार रहेगी।

13. <u>प्रशिक्षण एवं परिवीक्षा अवधि</u> :–

13.1 कम्पनी की प्रशिक्षण नीति के अनुसार प्रशिक्षण अवधि कुल 6 माह होगी।

13.2 प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को परिपत्र क्रमांक MD/MK/R&T/F-165/12474दिनांक 17.12.2013 की कंडिका 12 के अनुसार प्रशिक्षु भत्ता निम्नानुसार देय होगा। परंतु प्रशिक्षण अवधि में **"नवीन अंशदायी पेंशन योजना"** की पात्रता नहीं होगी, एवं प्रशिक्षण अवधि में कम्पनी के परिपत्र दिनांक 17.12.2013 के अनुसार जारी नियम लागू होगें।

स.क्रं.	पदनाम	प्रशिक्षुभत्ता (बेंसिक पे +ग्रेड पे)	
		बेसिक पे	ग्रेड पे
1.	सहायक राजस्व अधिकारी	6510	2500

13.3 प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले प्रशिक्षु को मूल वेतन निर्धारित करते हुए 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा। प्रशिक्षु अवधि के उपरांत नियमित नियुक्ति के बाद ही सहायक राजस्व अधिकारी **"नवीन अंशदायी पेंशन योजना"** में कम्पनी अंशदान का पात्र होगा।

स. क्रं.	पदनाम	वेतन संरचना (नियमितिकरण)			
		पे बैण्ड	बेसिक पे	ग्रेड पे	अन्य भत्ते
1.	सहायक राजस्व अधिकारी	5200-20200	6510	2500	समय–समय पर कंपनी द्वारा लागू

13.4 कम्पनी द्वारा वेतन संरचना में समय–समय पर देय वेतन, भत्ते एवं अन्य अनुषंगी लाभ भविष्य में लागू होने वाले संशोधन के अनुसार प्रदान किये जावेगें।

14. **<u>अन्य महत्वपूर्ण बिंदु</u> –**

14.1 ऐसे आवेदक जिन्हें म.प्र.राज्य की किसी भी विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा पदच्युत (Terminate / Dismiss) किया गया हो, को आवेदन की पात्रता नही होगी।

14.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / निःशक्तजन श्रेणी के उम्मीदवारों को ऑनलाईन असेसमेंट परीक्षा में उपस्थित होने हेतु आवेदन पत्र में अंकित पत्र व्यवहार के पते के आधार पर नियमानुसार न्यूनतम दूरी का द्वितीय (साधारण) श्रेणी का रेल अथवा वास्ताविक बस किराया (रेल मार्ग न होने पर) मूल टिकिट के प्रस्तुतीकरण पर ही दिया जायेगा। इस हेतु क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की स्वसत्यापित प्रतिलिपि का प्रस्तुतीकरण आवश्यक होगा।

14.3 ऐसे उम्मीदवार जिन्हें 26.01.2001 अथवा उसके बाद तृतीय संतान की प्राप्ति हुई हो, आवेदन के पात्र नहीं होगें तथा प्रथम संतान के पश्चात् यदि जुड़वा संतान हुई हो आवेदन के पात्र होगें।

14.4 नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी विवादों का क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय भोपाल / उच्च न्यायालय ग्वालियर स्थित न्यायालय का होगा।

14.5 अंतिम चयन सूची जारी होने से पूर्व पदों की श्रेणीवार / कुल संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित / निरस्त कर सकती है।

14.6 कम्पनी को आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अपने स्तर पर सत्यापन कराये जाने का अधिकार होगा एवं यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत / त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर नियुक्ति प्राप्त की गई है, तो ऐसे आवेदक की सेवाएं बिना सूचना दिए तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए न्यायालयीन कार्यवाही भी की जा सकेगी।

14.7 आवेदक को कम्पनी के कार्य क्षेत्रान्तर्गत किसी भी स्थान पर कार्य हेतु पदस्थ किया जा सकता है।

14.8 कार्य पूर्ण रुप से वाणिज्यिक प्रकृति का होने एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी की अनिवार्यता होने के दृष्टिगत आवेदन के पूर्व उम्मीदवार पूर्ण विचार करें।

14.9 शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी उपक्रम (प्रायवेट लिमिटेड) में कार्यरत उम्मीदवारों का नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14.10 दो या दो से अधिक कार्य अनुबंधों के मध्य जिस अवधि में अभ्यर्थी अनुबंधित नही पाया जावेगा वह अवधि कार्यानुभव में सम्मिलित नही होगी।

14.11 रिक्तियों की श्रेणीवार उपलब्धता के आधार पर प्रावीण्य सूची के अनुसार ही नियुक्ति पत्र जारी किये जायेगें।

14.12 प्राविधिक रूप से चयनित उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची की मूल प्रतियां दो स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है :–

I. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वी./12वी. बोर्ड परीक्षा की अंकसूची जन्मतिथि के प्रमाणन हेतु।

II. राज्य शासन/केन्द्र शासनसे मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से कंडिका क्रमांक 3 में वर्णित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

III. मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाणपत्र।

IV. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन/नगर सैनिक/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

V. एम.पी.ऑनलाईन के कियोस्क के माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र का कम्प्यूटराईज्ड प्रिंट की मूलप्रति।

VI. एम.पी.ऑनलाईन के कियोस्क संचालक को किए गए भुगतान की कम्प्यूटराईज्ड रसीद की मूल प्रति।

VII. पहचान परिचय पत्र (ड्रायविंग लायसेंस/मतदाता पहचान पत्र/बैंक पासबुक/पासपोर्ट) ।

VIII. आधार कार्ड के सत्यापन हेतु आधार कार्ड की मूल प्रति।

IX. शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं निजी (प्राइवेट लिमिटेड) उपक्रम में कार्यरत उम्मीदवारों का नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

X. कंडिका क्रमांक 10.8 में वर्णित अभ्यर्थीयों के लिये अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति लाना अनिवार्य है।

XI. आयु सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता में अंकों की छूट तथा आरक्षण लाभ होने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र।

XII. उपर्युक्त प्रमाणपत्रों के सत्यापन में यदि यह पाया जाता है, कि उम्मीदवार द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी असत्य/फर्जी/गलत पाई जाती है, तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तथा निर्धारित मापदंड पूर्ण नहीं करने की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

15. **महत्वपूर्ण तिथियॉ :–**

स.क्रं.	विवरण	दिनांक
1	समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किये जाने की दिनांक	21.01.2017
2	ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभ तिथि	21.01.2017
3	ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	09.02.2017
4	प्रवेश पत्र की तैयारी	10.02.2017
5	ऑनलाईन के पोर्टल पर प्रवेश पत्र जारी	15.02.2017
6	ऑनलाईन परीक्षा तिथि	19.02.2017
7	ऑनलाईन परीक्षा में प्रश्न पत्र में आपत्ति बुलाये जाने की तिथि	21.02.2017से 23.02.2017
8	प्रश्न पत्र में आपत्ति का समाधान की तिथि	10.03.2017
9	अंतिम परिणाम की तिथि	10.03.2017

उल्लेखित तिथियों में बिना कारण बताए परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी सूचना एम.पी.ऑनलाईन एवं कम्पनी की बेवसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी।

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.)